न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 02/2022

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना सिणधरी जिला बाड़मेर		श्री प्रभूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी डाबलीसरा चवा पुलिस थाना सदर बाड़मेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

<u>आदेश</u>

दिनांक : 28.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 28.10.2021 को श्री शुभकरण आरपीएस वृत्ताधिकारी गुडामालानी जिला बाड़मेर ने लिखित रिपोर्ट पेश की गई कि दिनांक 24.10.2021 को श्री बलदेवराम उनि थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी ने जरिये टेलीफॉन सूचना दी कि दिनांक 24.10.2021 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा के निर्देशानुसार मेगा हाईवे पर स्थित होटलों पर संचालित अवैध गतिविधियों एवं बायोडीजल विक्रय/संग्रह के संबंध में चैकिंग के दौरान सरहद भूका भगतसिंह नयू रामदेव होटल के पीछे खेत में पांच प्लास्टिक के ड्रम बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए हैं। इस पर अनुसंधान अधिकारी श्री आईदानराम हैड कानि 634 मय जाब्ता श्री कपिल कुमार [illegible] 1381, [illegible] कानि 1629 जरिये सरकारी वाहन आरजे 04 यूए 4510 [illegible] चैकिंग करने पंहुचे। पुलिस पार्टी को देखकर उक्त ड्रमों [illegible] भाग गया, जिस[illegible]चान नहीं हो सकी। उक्त जब्तशुदा ड्रमों का ढक्कन [illegible]लकर चैक किया तो [illegible]956.500 लीटर अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा सूंघने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

डीजलनुमा गंध आ रही थी। आस–पास होटल पर खड़े व्यक्तियों से उक्त ड्रमों के मालिक के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया गया कि प्रभूराम जाट उक्त ड्रमों में बायोडीजल भरकर बेचने हेतु बैठा था, वह आने–जाने वाले वाहनों में बायोडीजल भरवाने का कार्य करता है तथा ड्रम प्रभूराम जाट के हैं। उक्त ड्रमों में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया। उक्तानुसार सीओ गुडामालानी की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 179 दिनांक 28.10.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, ड्रमों, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल कागजात, रोड सर्टिफिकेट, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम प्रभूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी डाबलीसरा चवा पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी प्रभूराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 956.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम प्रभूराम पुत्र रूपाराम जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी डाबलीसरा चवा पुलिस थाना सदर बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 956.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 956.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 956.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:57:18 IST
Reason: SelfAttested